

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

27/3/15
11

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2015

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the "Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories", a Commission constituted by the Government of India, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-


- (a) petition fees;
- (b) licence fees;
- (c) interest earned from deposits in banks.

2. This notification shall be applicable for the financial years 2011-12 to 2015-16.

3. The notification shall be effective subject to the conditions that the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories-

- (a) does not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

[Notification No. 27/2015 F.No.196/41/2012-ITA.I]



DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 मार्च 2015

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “गोवा राज्य व संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग” भारत सरकार द्वारा गठित आयोग को उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्न विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है अर्थात्:-

- (क) याचिका फीस;
 - (ख) लाइसेंस फीस;
 - (ग) बैंकों में जमाओं से अर्जित।
2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए लागू होगी।
3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन प्रभावी होगी, कि गोवा राज्य व संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग:-
- (क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
 - (ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
 - (ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

(अधिसूचना संख्या 27/2015/ फा.स. 196/41/2012 आई टी.ए.।)

दीपाशिखा

(दीपाशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।